प्रो० संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक), माननीय स०वि०प० का अल्प सूचना प्रश्न डायरी संख्या-1/212/996 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, Water Resources Department यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या यह सही है कि बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल बेगूसराय के अधीन गुप्ता लखमिनिया तटबंध के लिए भू-अर्जन हेतु तेहत्तर लाख सतरह हजार तीन सौ चौबीस रूपये की प्राक्कलित राशि उपलब्ध कराने की मांग की गयी है ; (ख) क्या यह सही है कि कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बेगूसराय ने अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, खगड़िया को लगातार स्मारित किया गया है, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है ; (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों की भूमि के अर्जन हेतु प्राक्कलित राशि स्वीकृत करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत मामला गुप्ता लखमिनियाँ तटबंध के निर्माण से संबंधित नही है अपितु तटबंध से लगभग 400 मीटर की दूरी पर नदी तट पर कराये गये कटाव निरोधक कार्य अन्तर्गत भूमि मुआवजा भुगतान से संबंधित है । उक्त कार्य में प्रयुक्त भूमि के नियमानुकूल देय मुआवजा के भुगतान की कार्रवाई की जायेगी ।

9/3/26

Uday/Vidhan Sabha Samastipur

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः– 29/सं0का0–06–03/2026 पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना को अल्प सूचना प्रश्न सं0–01/212/996 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(बलिराम प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 29/सं0का0–06–03/2026 1314 पटना, दिनांकः– 9/3/26

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9/3/26
सरकार के उप सचिव।